

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 588 / 2024

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:-53 आरटीए

- 1 सुनील कुमार पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 2 विकास कुमार गोदारा पुत्र रामप्रताप गोदारा जाति जाट नि.वार्ड नं. 10, धोलीपाल तह.व जिला हनुमानगढ़
- 3 कृष्णा देवी पत्नी मांगी लाल जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)


-वादीगण

बनाम्

- 1 अनिल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 2 चन्द्रकला पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 3 सुनीता पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 4 सरोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 5 सुशीला पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 6 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोलीपाल
- 7 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-



श्री सुन्दर सिंह सूच अधिवक्ता - वादीगण  
श्री सुनील राम सहू अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ता 5  
तहसीलदार राजस्व संगरिया -प्रतिवादी संख्या 7

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी. सं. 1 ता 5 के नाम चक नं. 18 एम.जे.डी. जं.सं. 2071-2074 के खाता सं. 40/65 में 2.277 हैक्ट. व इसी चक के खाता सं. 41/45 में 2.997 व चक नं. 6 एम.जे.डी. जं.सं. 2071-2074 के खाता सं. 30/25 में 4.440 हैक्ट. व इसी चक के खाता सं. 31/39 में 1.265 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। उक्त खाता की जमाबन्दी सलग्न वादपत्र है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि का घरु विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था मुताबिक घरुविभाजन विभाजन वादी का प्रतिवादीगण के साथ कोई विवाद नहीं हैं। किन्तु रकबा सांझा खाता में दर्ज होने के कारण सीव वट को लेकर विवाद बना रहता है। उक्त भूमि वादीगण की खरीदशुद्धा भूमि हैं। मुताबिक घरु विभाजन वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घरु विभाजन वादीगण को निम्न भूमि आई है:- वादी सं. 01 सुनील कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 31/39 पं.नं. 118/179 मु.नं. 26 किला नं. 20,21/0.253है.प्रं. कुल 0.506 हैक्ट. नहरी, वादी सं. 02 विकास कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 30/25 पं.नं. 119/18 मु.नं. 39 किला नं. 20,21/0.506है.प्रं. कुल 0.506 हैक्ट. नहरी, वादी सं. 03 कृष्णा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 31/39 पं.नं. 118/179 मु.नं. 26 किला नं. 18,19,22/0.253है.प्रं. कुल 0.759 हैक्ट. नहरी, प्रतिवादी सं. 1 अनिल, 2 चन्द्रकला, 3 सुनीता, 4 सरोज, 5 सुशीला के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक नं. 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 40/65 पं.नं. 117/182 मु.नं. 48 किला नं. 117/182 मु.न. 48 किला नं. 8,9,10,12,13,14,17,18,24/0.253है.प्रं. कुल 2.277 हैक्ट. नहरी चक नं. 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 41/45 पं.नं. 117/181 मु.नं. 35 किला नं. 13,14/0.253है.प्रं.,15/1/0.215है.,15/2/0.038है.,16/1/0.215है.,17/2/0.038है.,17,18/0.253है.प्रं.,22,23,24/0.253है.प्रं.,25/1/0.215है.,25/2/0.038है.पं.नं. 117/182 मु.नं. 48 किला नं. 2/0.253है.3/2/0.214है. कुल 2.997 हैक्ट. नहरी चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 30/25 पं.नं. 118/181 मु.नं. 40 किला नं. 16 ता 25/0.253है.प्रं., पं.नं. 118/182 मु.नं. 41 किला नं. 1/1/0.228है.,1/2/0.025है.

महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया



आराजी में सह-खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वाद पत्र में प्रस्तुत सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त किये जाने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाकर निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

- क - वादी सं. 01 सुनील कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 31/39  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
118/179 26 20,21/0.253 है. प्र. कुल 0.506 हैक्ट. नहरी
- ख - वादी सं. 02 विकास कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 30/25  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
119/181 39 20,21/0.506 है. प्र. कुल 0.506 हैक्ट. नहरी
- ग - वादी सं. 03 कृष्णा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 31/39  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
118/179 26 18,19,22/0.253 है. प्र. कुल 0.759 हैक्ट. नहरी
- घ - प्रतिवादी सं. 1 अनिल, 2 चन्द्रकला, 3 सुनीता, 4 सरोज, 5 सुशीला के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि  
चक नं. 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 40/65  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
117/182 48 8,9,10,12,13,14,17,18,24/0.253 है. प्र. कुल 2.277 हैक्ट. नहरी
- चक नं. 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 41/45  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
117/181 35 13,14/0.253 है. प्र., 15/1/0.215 है., 15/2/0.038 है.,  
16/1/0.215 है., 16/2/0.038 है., 17,18/0.253 है. प्र.,  
22,23,24/0.253 है. प्र., 25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.  
2/0.253 है. 3/2/0.214 है. कुल 2.997 हैक्ट. नहरी
- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 30/25  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
118/181 40 16 ता 25/0.253 है. प्र.,  
118/182 41 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,  
2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,  
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,  
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
6/2/0.139 है. कुल 3.934 हैक्ट. नहरी

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फौसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधीक्षक  
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 588/2024

अन्तर्गत धारा:- 53 आरटीए

- 1 सुनील कुमार पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 2 विकास कुमार गोदारा पुत्र रामप्रताप गोदारा जाति जाट नि.वार्ड नं. 10, धोलीपाल तह.व जिला हनुमानगढ़
- 3 कृष्णा देवी पत्नी मांगी लाल जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ वादीगण

बनाम्

1. अनिल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. चन्द्रकला पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. सुनीता पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. सरोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. सुशीला पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोलीपाल
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

मुद्रा राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी सिंह सूच वादीगण मिन जामिन मुदई वकील श्री मनीराम सहू प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुकदमा पेशा होकर हुकम दिया जाता है एवं वाद वादीगण में मुताबिक सहमति जवाब दावा अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:-

- के हक वादी सं. 01 सुनील कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 31/39  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
118/179 26 20, 21/0.253 है. प्र.कुल 0.506 हैक्ट. नहरी
- ख - वादी सं. 02 विकास कुमार के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 30/25  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
119/181 39 20, 21/0.506 है. प्र.कुल 0.506 हैक्ट. नहरी
- ग - वादी सं. 03 कृष्णा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 31/39  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
118/179 26 18, 19, 22/0.253 है. प्र.कुल 0.759 हैक्ट. नहरी
- घ - प्रतिवादी सं. 1 अनिल, 2 चन्द्रकला, 3 सुनीता, 4 सरोज, 5 सुशीला के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि  
चक नं. 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 40/65  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
117/182 48 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 24/0.253 है. प्र.कुल 2.277 हैक्ट. नहरी
- चक नं. 18 एम.जे.डी. के खाता सं. 41/45  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
117/181 35 13, 14/0.253 है. प्र., 15/1/0.215 है., 15/2/0.038 है.,  
16/1/0.215 है., 16/2/0.038 है., 17, 18/0.253 है. प्र.,  
22, 23, 24/0.253 है. प्र., 25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.  
2/0.253 है. 3/2/0.214 है. कुल 2.997 हैक्ट. नहरी
- चक नं. 16 एम.जे.डी. के खाता सं. 30/25  
पं.नं. मु.नं. किला नं.  
118/181 40 16 ता 25/0.253 है. प्र.,  
118/182 41 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,  
2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,  
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
6/2/0.139 है. कुल 3.934 हैक्ट. नहरी

यह डिक्री आज दिनांक 31.1.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

HC

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया